पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 236/2024

AZAMGARH POLICE

दिनांक- 29.07.2024

थाना- जहानागंज

दिल्ली पुलिस का फर्जी उप-निरीक्षक बनकर बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर 09 लाख रूपयें की ठगी करने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा चलाये जा रहें अपराध व अपराधियों के रोकथाम के के क्रम में दिनांक 28.07.2024 को वादी आकाश कुमार S/O अरविन्द कुमार ग्रा0 बरहतिर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया कि विपक्षी प्रद्युम्न कुमार S/O श्यामलाल राम ग्राम करउत थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ जो अपने आप को दिल्ली पुलिस का सब-इंस्पेक्टर बताया तथा काफी पहुँच वाला बताया तथा वर्दी पहने अपनी फोटो भी दिखाया जिसके द्वारा पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर गाँव के कई लोगो से लगभग 09 लाख रूपये ले लिया तथा अरूण कुमार को पोस्ट आफिस में पोस्ट मैन के पद पर नौकरी करने के लिए कूटरचित फर्जी ज्वाईनिंग लेटर दिया गया तथा पुनः पैसा लेने के लिए वादी मुकदमा के घर आकर बकाया धनराशि के लिए दबाव बना रहा था तथा बार-बार धमकी दे रहा था शक होने पर कि यह कोई उप-निरीक्षक नही है। इसने फर्जी उप-निरीक्षक बनकर फर्जी नियुक्ती पत्र दिया गया है। जिसे वादी मुकदमा व अन्य द्वारा पकड़ कर थाने लाया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 392/2024 धारा 419/420/467/468/471/171/506 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि साहब पहले मै दिल्ली मे अपने पिता के पास रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। आज कल लोगो को नौकरी नही मिल रही है मेरे द्वारा पैसे की लालच में लोगो को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा कमाने के बारे मे सोचा तथा गाँव आकर आकाश कुमार निवासी बरहतीर जगदीशपुर के घर पर आकर अपनी फर्जी पहुंच बताकर पुलिस विभाग मे तथा पोस्ट आफिस विभाग मे नौकरी दिलाने की बात बताया। मैने अपने आप को दिल्ली पुलिस का उप-निरीक्षक बताया था। तथा विश्वास दिलाने के लिये मैने अपने पहने हुए फर्जी उप-निरीक्षक पद के वर्दी की फोटो को दिखाया था। मै किसी दिल्ली पुलिस मे नही नियुक्त हूं। **मै यू.पी. मे लोगो को अपने बातो मे फसाने के लिये यू.पी. पुलिस का भी बैच लगा लेता हूँ।**आकाश ने मुझे दिल्ली पुलिस का दरोगा समझ कर आकाश ने मुझसे पुलिस मे नौकरी दिलाने के लिये कहा था और आकाश ने अपने दोस्तो सूरज भारती पुत्र दिनेश भारती को पुलिस विभाग मे तथा अरूण कुमार पुत्र सुरेश राम निवासीगण ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को पोस्ट आफिस मे नौकरी दिलवाने के लिये बताया मेरे द्वारा तीनो लोगो के द्वारा खाते मे पैसा भेजा गया। आकाश, सूरज व अरूण तीनो से मिलकर लगभग 09 लाख रूपये ले लिये थे तथा अरूण कुमार को पोस्ट आफिस में पोस्ट मैन के पद पर नौकरी करने के लिए अपने लैपटाप से यूटूब के माध्यम से देखकर कूटरचित फर्जी ज्वाईनिंग लेटर दिया था। मेरा लैपटाप मेरे घर के पास है। मेरे द्वारा नियुक्ति पत्र देते समय ज्वाइनिंग टाइम बीत जाने के कारण नया ज्वाईनिग डेट फिर से बनाने के लिये और पैसा मांगा गया था और बाकी पैसे लेने के लिये कल आकाश के घर आया था कि इन लोगो को मेरे ऊपर शक होने पर मुझ पकड़ कर थाने लेकर आये थे। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रद्युम्न कुमार S/O श्यामलाल राम ग्राम करउत थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष

बरामदगी

एक अदद वर्दी दिल्ली पुलिस मय टोपी व जूता

एक अदद लैपटाप ,

एक अदद चार पहिया गाड़ी होण्डा मोबिलो

पंजीकृत अभियोग-

1- मु.अ.स. 392/2024 धारा 419/420/467/468/471/171/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उप-निरीक्षक हृदयानन्द पाठक मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़।
2. वादी आकाश कुमार S/O अरविन्द कुमार ग्रा0 बरहतिर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

थाना- रानी की सराय

चोरी गये जेवरात के साथ अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनाँक- 19.03.2024 को श्रीमती रेशमा पत्नी मो0 जाहिद नि0 मंजीरपट्टी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थन पत्र हिन्दी लिखित दस्तखती खुद के बावत आवेदिका टैम्पू से फरिहा मायके जाते समय फरिहा व चेकपोस्ट रानी की सराय के माध्य दो अज्ञात महिला के द्वारा खुद का दो पर्स गायब कर दिया गया जिसमें रखा 8000रु0 नगद व कुछ गहने को चुरा लिया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 78/2024 धारा 379 भादवि बनाम दो अज्ञात महिला नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में जैनब पत्नी महफूज अहमद निवासी ग्राम मोहल्ला पांच आना फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया जिसको गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है तथा धारा 411 भादवि की बढोत्तरी किया गया।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक- 29.07.2024 को उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता जैनब पत्नी महफूज अहमद निवासी ग्राम मोहल्ला पांच आना फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को कोटिला तिराहा से समय 13.10 बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 78/2024 धारा 379/411 भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्ता –

1-जैनब पत्नी महफूज अहमद निवासी ग्राम मोहल्ला पांच आना फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब

बरामदगी –

(1)एक अदद अंगुठी पीली धातु

(2)एक जोड़ी कान की बाली पीली धातु

(3) एक जोड़ी छोटी कान की बाली पीली धातु

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय हमराह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

थाना- जीयनपुर

अपहरण के अभियोग में एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक- 28.07.2024 को आवेदिका थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दी की मेरी पुत्री जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है को एक बाल अपचारी थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा बहला फूसलाकर अपने साथ भगाने की नियत से दिनाक 28-07-2024 को समय 12 बजे मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में चोरी छिपे घुसा और मेरी पुत्री को अपने साथ भगा ले जाने की नियत से लेकर जाने लगा इस दौरान मेरे बडे पुत्र द्वारा दोनो को देख लिया गया पीछा करने पर वादिनी मुकदमा के बड़े बेटे को बाल अपचारी द्वारा बुरी तरीके से पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गयी अबु तालिम द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से हर चीज को रोजानापूर्वक तरीके से किया गया है के सम्बन्ध दाखिल की प्राप्त प्रार्थाना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 342/2024 धारा 137(2)/115(2)/351(2) भारतीय न्याय संहिता(बी.एन.एस)2023 बनाम 01 बाल अपचारी घोसी जनपद मऊ पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 जाफर खान द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवेचना के क्रम मे-

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम–

आज दिनांक 29.07.2024 को उ0नि0जाफर खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को कस्बा जीयनपुर चौराहे के पासे से समय करीब 11.55 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।